राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांकः–ए.4( )लेखा/राज्य निधि/2023–24/724 दिनांकः– 5.2.24

परिपत्र

बजट प्रबंधन प्रकिया के संचालन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा बजट अनुमान एवं व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, इसकी निरंतरता में परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हे सुगम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 से पूल बजट से संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया दर एवं रॉयल्टी एवं अन्य सभी विस्तृत मदों (Object Head) में BFC Minutes की शर्तों के अनुरूप तथा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि कार्यालयावार स्वीकृत पद, सर्विस कैटेगरीवार, कार्मिक की Employee ID, आदि के आधार पर ही वेतन का आहरण किया जावे।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पूल बजट के अन्तर्गत बजट की उपलब्धता को देखते हुए कुछ बजट मदों में स्वयं के कार्यालय द्वारा बीएफसी के समय प्रस्तुत किये गये अनुमानों एवं पिछले वर्षों के बजट आवंटन की तुलना में अप्रत्याशित रूप से अधिक राशि का व्यय किया जा रहा है। इस संबंध में वित्त विभाग ने परिपत्र क्रमांक प. 4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसकी निरंतरता में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक :– ए.4 ( ) लेखा/राज्यनिधि/प्रतिबद्ध/2022–23/302–20 दिनांक 28.04.2022 एवं 1869 दिनांक 14.03.2023 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। अतः विभिन्न बजट मदों में व्यय में वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने की दृष्टि से उपर संदर्भित परिपत्रों की निरंतरता में कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के प्रयोजनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा New item यथा चिकित्सा उपकरण एवं मशीनें, A.C, Photocopier, Computer, Printer, वाहन, कूलर, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर इत्यादि पर बिना सक्षम स्वीकृति के व्यय नहीं किया जावें। New item की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाती है।
2. बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा राशि का व्यय बजट नियमावली अनुसार उसी परियोजनार्थ किया जावे, जिस हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है।
3. विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बीएफसी में स्वीकृत किये गये बजट अनुमानों के आधार पर अनुपातिक व्यय किया जावें। अत्यावश्यक परिस्थितियों में गैर अनुपातिक (Disproportionate) व्यय आवश्यक होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जावे।
4. विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्यालय की गतिविधियों के क्रियाकलाप एवं संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु बजट मदों से किये जाने वाले व्यय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए किया जावे।
5. बजट नियमावली के अध्याय 8 के पैरा 8.5 के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारी प्राप्तियों एवं व्यय के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा समुचित नियंत्रण व्यवस्था (Adequate Control Mechanism) स्थापित की जाये जिससे सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोका जा सके तथा राजकीय संव्यवहारों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं का पता लगाया जा सके, अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि से किये जाने रहे व्यय की पूर्ण समीक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाकर्मी (नियमित संवर्ग) से जांच उपरान्त ही राशि का आहरण/व्यय किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पूल बजट मदों से राशि आहरित कर आरएमआरएस खाते में पुनर्भुगतान नहीं किया जावे।
7. सुगम पूल बजट का वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही सही एवं विहित उद्देश्यों में ही उपयोग हो। इसे सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों के आईएफएमएस एवं अन्य माध्यम से उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों का दैनिक रूप से कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी द्वारा समीक्षा किया जाना चाहिये। गैर अनुपातिक व्यय होने की स्थिति में बजट नियंत्रण अधिकारी के ध्यान में लाया जाना सुनिश्चित करावें।

RajKaj Ref
5416460

8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पूल बजट के व्यय की समीक्षा के संबंध में अधीनस्थ जोन कार्यालयों की बैठक किये जाने पर ध्यान में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप संचालित बजट मदों से व्यय नहीं किया जा कर अन्य कार्यालयों के लिये संचालित बजट मदों से व्यय किया जा रहा है। जिससे बजट नियंत्रण व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो पा रही है। इसलिये समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि बीएफसी में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ही अपने कार्यालय के लिये अनुमत बजट मद से अनुपातिक रूप से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जल एवं विद्युत व्यय जिस मद से उन्हे स्वीकृति/अनुमति प्राप्त है, उसी मद से किया जावे।
10. समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पूल बजट से होने वाले भुगतान संवेतन, मजदूरी, पेंशन, जल एवं विद्युत, टेलीफोन तथा किराया दर एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मदों (Object Head) के संबंध में विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें, जिसके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त संदर्भित परिपत्रों की निरन्तरता में समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन कार्यालयों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें, इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों की बैठक बुलाकर यथोचित निर्देश जारी करे तथा सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्यालय द्वारा बिना विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति के कोई व्यय नहीं किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अप्रत्याशित एवं गैर अनुपातिक रूप से व्यय किया जाता है तो उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवायें, जोन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों यथा बीसीएमओ, सीएचसी, डिस्पेंसरीज को आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में संवेतन, मजदूरी, पेंशन, जल एवं विद्युत, टेलीफोन तथा किराया दर एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मदों (Object Head) की मांग अनुरूप सूचना इकजाई कर निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित करेंगे तथा निदेशालय से प्राप्त अनुमति अनुसार ही अनुपातिक रूप से अधीनस्थ कार्यालयों को पूल बजट से राशि आहरण किये जाने की अनुमति प्रदान करेंगे।
6. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/जयपुर/कोटा।
8. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सैटेलाइट अस्तपाल/उपजिला अस्पताल।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.एस टीबीडीटीसी अजमेर।
11. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
12. राजकीय सामान्य चिकित्सालय पुरानाघाट जयपुर एवं जोधपुर।
13. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स एन फार्मेसी, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
15. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

RajKaj Ref
5416460

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.
Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :05-02-2024 02:37:34